



राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड, शासन सचिवालय, जयपुर दूरभाष नं 0141-2227884
ई-मेल : seprd1235@gmail.com, rajpr.xente@rajasthan.gov.in

क्रमांक : एफ 4 () पंरावि/आप्र/RGSA Allotment/2018-19/ 272 जयपुर, दिनांक : 28/01/19

मुख्य कार्यकारी अधिकारी

जिला परिषद – अजमेर, अलवर, बारां, बाडमेर,
भीलवाडा, बून्दी, चुरु, दौसा, हनुमानगढ, जयपुर,
झालावाड, झुंझुनू, जोधपुर, करौली, कोटा, नागौर, सीकर एवं टोंक।

विषय :- जीर्ण-शीर्ण पंचायत भवनो को तोडकर नवीन पंचायत भवनों के निर्माण के संबंध में।

प्रसंग :- आर.जी.एस.ए. की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति क्रमांक एफ 4 () पंरावि/आप्र/RGSA Allotment/2018-19/01 दिनांक 07.01.2019

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र के द्वारा आपसे प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार जीर्ण-शीर्ण पंचायत भवनो को तोडकर नवीन पंचायत भवन बनाने की राशि रु. 20.00 लाख स्वीकृती प्रदान की गई है। उक्त भवनों के निर्माण हेतु निम्नानुसार निर्देश प्रदान किये जाते है :-

1. पुराने जीर्ण-शीर्ण/अनुपयोगी/असुरक्षित भवन, जिन्हें तोडकर नया भवन बनाया जाना है इन भवनों को दिनांक 13.04.2012 को जारी आदेश द्वारा गठित कमेटी द्वारा भवन को तोडकर दुबारा निर्माण के क्रम में संलग्न प्रारूप में अभिशंषा जारी की जावे एवं इसकी एक प्रति मुख्यालय को भी अनिवार्य रूप से तकनीकी स्वीकृति के साथ भेजी जावे।
2. भवन को तोडने से पहले का फोटोग्राफ खिंचवाया जावे।
3. भवन को तोडने की अभिशंषा प्राप्त होने पर संलग्न नक्शे के अनुरूप कार्य की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से जारी करवा कर, कार्य प्रारम्भ करें।
4. साथ ही प्रत्येक माह कार्य की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति ई-पंचायत में दर्ज की जायेगी।
5. Reusable Material का नियमानुसार Disposal किया जावे।
6. यदि किसी कार्य की लागत राशि रु. 20.00 लाख से ज्यादा आ रही है, तो जिला परिषद स्तर पर संशोधित स्वीकृति जारी करते हुये, अतिरिक्त राशि राज्य वित्त आयोग या अन्य मद से वहन करें। विभाग स्तर से अतिरिक्त राशि आवंटित नही की जावेगी।

7. यदि प्रासंगिक पत्र में अंकित ग्राम पंचायत भवन बिन्दु संख्या 1 के अनुसार जीर्ण-शीर्ण घोषित करने की श्रेणी में नहीं आता है कि इस कार्य स्थान पर जिले में यदि अन्य कार्य बिन्दु संख्या 1 के अनुसार ग्राम पंचायत भवन का नव निर्माण करना हो तो उसका प्रस्ताव मुख्यालय को तत्काल भेजने का श्रम करें। जिले में इस तरह का कोई जीर्ण शीर्ण भवन नहीं होने की स्थिति में मुख्यालय को सूचित करें ताकि अन्य भवन के लिये स्वीकृति जारी की जा सकें।
8. आम जनता की सुगमता हेतु अधिकांश ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत कार्यालय, राजीव गांधी किसान सेवा केन्द्र का निर्माण किया हुआ है। बिन्दु संख्या 1 अनुसार भवन निर्माण में स्थान चयन की प्राथमिकता निम्नानुसार रहेगी :
- 8.1. यदि भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र एवं ग्राम पंचायत भवन एक ही परिसर में है, तो अर्थात् ग्राम पंचायत भवन को तोड़कर उसी के स्थान पर नवीन भवन बनाया जा सकेगा।
- 8.2. यदि भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र एवं ग्राम पंचायत भवन अलग-अलग स्थान पर है एवं भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र वाले परिसर में भूतल पर अथवा सेवा केन्द्र के पहली मंजिल पर भी निर्माण कराया जा सकता है।
- 8.3. अगर पंचायत भवन एवं भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र दूर बने हुये है तो नया पंचायत भवन जहाँ तक संभव हो, भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र के पास ही बनाया जावे ताकि आम जनता को लाभ मिल सके, परन्तु यह सुनिश्चित किया जावे कि जिस स्थल पर भवन का निर्माण किया जा रहा है, वह भवन ग्राम पंचायत मुख्यालय पर ही स्थित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

भवदीय



(एस.एस. सोहला)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अधिशाषी अभियन्ता, जिला परिषद संबंधित।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त, जिला संबंधित।
3. सरपंच/सचिव, ग्राम पंचायत संबंधित।



प्रभारी अधिकारी (आर.जी.एस.ए.)

पुराने जीर्ण-शीर्ण ग्राम पंचायत भवन को नाकारा घोषित करने हेतु अभिशंषा

1. ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद
2. भूमि का क्षेत्रफल
3. निर्मित ग्राम पंचायत भवन का क्षेत्रफल
4. प्लिनथ का लेवल (समीपतम मुख्य सडक से)
5. छत की स्थिति
6. निर्मित वर्ष
7. अन्तरिम रख-रखाव कब किया गया (विगत 5 वर्षों में योजनाओं में व्यय की गई राशि का विवरण) एवं कितनी राशि व्यय हुई। योजना व्यय राशि वर्ष
8. भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र से दूरी/एक ही परिसर में/अन्यत्र
9. भवन का वर्तमान फोटोग्राफ
10. नवीन मानचित्र के अनुसार भवन निर्माण हेतु स्थान उपलब्ध है अथवा नहीं

:: प्रमाण-पत्र ::

प्रमाणित किया जाता है कि पंचायती राज विभाग के आदेश क्रमांक 618 दिनांक 13.04.2012 की पालना में समिति द्वारा उक्त ग्राम पंचायत भवन का दिनांक को मौका निरीक्षण कर लिया गया है एवं समिति ग्राम पंचायत के वर्तमान कार्यालय भवन को जीर्ण-शीर्ण, असुरक्षित एवं अनुपयोगी घोषित करते हुये, इसके स्थान पर ग्राम पंचायत कार्यालय के नवीन भवन निर्माण की अभिशंषा करती है। नवीन ग्राम पंचायत भवन निर्माण (स्थान जहां पर भवन निर्मित होना है) कराया जावे।

AO
ZP

Ex.En. (Civil)
ZP

वर्तमान स्थिति का फोटोग्राफ

CEO / ACEO
ZP

Multipurpose Meeting Hall
42'X25'

Clear Hg. 12'

Level +3.0'

UP

Sarpanch

Room 15'X10'

Clear Hg 10'

Passage 10' Wide

Patwari
Room 15'X10'

Clear Hg 10'

VDO/LDC

Room 15'X10'

Clear Hg 10'

Level +3.0'

Agriculture Supervisor

Room 15'X10'

Clear Hg 10'

UP

Ramp 3.5' wide

LIVING AREA

1723 sq ft
Porch
12'X7'

Tentative Plan for New Gram
Panchayat Building